भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *262
जिसका उत्तर शुक्रवार, 09 अगस्त, 2024 को दिया जाना है

न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग

***262. श्री तेजस्वी सूर्या :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा न्यायालय परिपाटियों, प्रक्रियाओं और बहसों में स्थानीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ;

(ख) कितने न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है ; और

(ग) क्या सरकार प्रत्येक क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालयों में स्थानीय भाषा शुरू करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.* 262 जिसका उत्तर तारीख 09.08.2024 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(क) से (ग) : भारत के संविधान के अनुच्छेद 348(1)(क) में यह कथन किया गया है कि उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। यद्धपि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 348(2) यह उपबंध करता है कि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा । इसके अतिरक्त, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 में यह कथन किया गया है कि किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और जहां कोई निर्णय, डिक्री या आदेश (अंग्रेजी भाषा से भिन्न) ऐसी किसी भाषा में पारित किया या दिया जाता है वहां उसके साथ-साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार से निकाला गया अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी होगा ।

राजभाषा नीति के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए नियुक्त मंत्रिमंडल समिति ने 21.05.1965 को आयोजित अपनी बैठक में यह निर्धारित किया था कि उच्च न्यायालय में अंग्रेजी के अतिरिक्त् किसी अन्य भाषा के प्रयोग से संबंधित किसी भी प्रस्ताव पर भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति प्राप्त की जाएगी।

राजस्थान उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी के प्रयोग को 1950 में संविधान के अनुच्छेद 348(2) के अधीन प्राधिकृत किया गया था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मंत्रिमंडल समिति के तारीख 21.05.1965 के निर्णय के पश्चात भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से उत्तर प्रदेश (1969), मध्य प्रदेश (1971) और बिहार (1972) के उच्च न्यायालयों में हिंदी के प्रयोग को प्राधिकृत किया गया था।

भारत सरकार को तमिलनाडु, गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल और कर्नाटक सरकारों से क्रमशः मद्रास उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय और कर्नाटक उच्च न्यायालय की कार्यवाही में तमिल, गुजराती, हिंदी, बंगाली और कन्नड़ के उपयोग की अनुमति देने के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। 1965 में लिए गए मंत्रिमंडल समिति के निर्णय के अनुसार इन प्रस्तावों पर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह मांगी गई थी और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने तारीख 16.10.2012 के अपने अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से सूचित किया था कि तारीख 11.10.2012 को आयोजित अपनी बैठक में पूर्ण न्यायालय ने उचित विचार-विमर्श के पश्चात् प्रस्तावों को स्वीकार न करने का निर्णय लिया।

तमिलनाडु सरकार के एक अन्य अनुरोध के आधार पर, सरकार ने भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से इस संबंध में पहले के निर्णयों को पुनर्विलोकन करने और जुलाई, 2014 में भारत के उच्चतम न्यायालय की सहमति से अवगत कराने का अनुरोध किया । भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने तारीख 18.01.2016 के अपने अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से सूचित किया कि व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात् पूर्ण न्यायालय ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

न्यायिक कार्यवाही और निर्णयों को आम नागरिक की समझ के लिए अधिक व्यापक बनाने के लिए, कार्यवाहियों और निर्णयों का अंग्रेजी से अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ने एआई टूल का उपयोग करके ई-एससीआर निर्णयों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति माननीय अभय एस ओका की अध्यक्षता में एआई सहायता प्राप्त विधिक अनुवाद सलाहकार समिति का गठन किया है। 02.12.2023 तक, एआई अनुवाद टूल का उपयोग करके, उच्चतम न्यायालय के 31,184 निर्णयों का 16 भाषाओं में अनुवाद किया गया है अर्थात. हिंदी (21,908), पंजाबी (3,574), कन्नड़ (1,898), तमिल (1,172), गुजराती (1,110), मराठी (765),

तेलुगू (334), मलयालम (239), ओडिया (104), बंगाली (39), नेपाली (27), उर्दू (06), असमिया (05), गारो (01), खासी (01), कोंकणी (01)। 02.12.2023 तक 16 भाषाओं में अनुवादित उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के ब्यौरे उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट के ई-एससीआर पोर्टल पर उपलब्ध है।

एक वैसी ही समिति सभी उच्च न्यायालयों में संबंधित उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अध्यक्षता में गठित की गई है। अभी तक, उच्चतम न्यायालय ई-एससीआर निर्णयों का 16 स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करने में उच्च न्यायालयों के साथ सहयोग कर रहा है। उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 4,983 निर्णयों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया है और उसे उच्च न्यायालयों द्वारा अपनी संबंधित वेबसाइटों पर अपलोड किया गया है।

विधि और न्याय मंत्रालय के तत्वावधान में भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति माननीय एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता में भारतीय विधिक परिषद ने' भारतीय भाषा समिति' का गठन किया है। समिति विधिक सामग्री को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के प्रयोजनों से सभी भारतीय भाषाओं के संवृत एक कॉमन कोर शब्दावली विकसित कर रही है।

अब तक कुछ क्षेत्रीय भाषाओं अर्थात् गुजराती, मलयालम, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में एक सीमित शब्दावली भी विकसित की गई है। ये शब्दावलियाँ विधिक प्रणाली के सभी हितधारकों के उपयोग के लिए विधायी विभाग की वेबसाइट http://legislative.gov.in/glossary-in-regional-language/ पर उपलब्ध हैं।

****